

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सूचना

पत्रांक-03/परि0(विविध)-08/2018

6437

पटना, दिनांक- 5/10/18

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने हेतु "मुख्य मंत्री ग्राम परिवहन योजना" शुरू की गयी है। इसे अधिसूचना संख्या-823 दिनांक-05.09.2018 द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन दाखिल करने हेतु लिंक परिवहन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।


इस योजना के तहत ऑन-लाईन आवेदन दाखिल करने में सॉफ्टवेयर संबंधित किसी समस्या के समाधान हेतु निम्न से सम्पर्क किया जा सकता है :-

1. श्री गौरव कांत, आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना, मो0 नं0-6202751005

इस योजना की किसी कंडिका के संबंध में संशय होने या किसी तथ्य की जानकारी प्राप्त करने हेतु निम्न से सम्पर्क किया जा सकता है :-

1. संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी
2. संबंधित जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी
3. श्री विनय कुमार राय, उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना, मो0 नं0-9934840821
4. श्री मारुति नंदन झा, सहायक, परिवहन विभाग, बिहार, पटना, मो0 नं0-9199695130

योजना से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त करने हेतु परिवहन विभाग के वेबसाईट-www.transport.bih.nic.in पर लॉग इन किया जा सकता है। योजना से संबंधित किसी समस्या के समाधान हेतु इसे विभाग के e-mail ID-transecy-bih.nic.in पर भी भेजा जा सकता है।


उप सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।